रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 7, 1971/श्रावण 16, 1893

No. 136] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 7, 1971/SRAVANA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August 1971

G. S. R. 1144—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Tenth Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 10-8-1971.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, (hereinafter referred to as the said rules) in rule 434—

(1) in Section III relating to "Scale of charges for departmental exchange connections", in clause(i) relating to connections within the local area,—

(i) for the existing Table under "(a) Measured rate system", the following Table shall be substituted, namely:—

"

Exchange systems.	Rates of quarterly rental and call fees.			
	Rental	Number of local calls allowed free of charge during the quarter.	Fees per local call for calls in excess of those allowed free of charge.	
	Rs.		Paise	
1. Exchange systems of 10,000 lines capacity and above. . . .	100	250	20	
2. Exchange systems of less than 10,000 lines capacity. . .	80	250	20	"

(ii) under "(b) Flat rate system—all other exchanges", for the existing Table, the following Table shall be substituted namely:—

"Type of exchange	Rates of Rental	
	Annual	Monthly
	Rs.	Rs.
(i) Exchanges of 100 lines and above capacity providing 24 hours service	400	35
(ii) Exchanges of less than 100 lines capacity providing 24 hours service	340	30
(iii) Exchanges providing restricted hours of service—		
(a) Manual exchanges of capacity of over 20 lines. . . .	250	23
(b) Manual exchanges of capacity of 20 lines or less. . .	180	17"

(2) in Section IV, "Charges for connection under 'Own Your Telephone Scheme", for the existing Table and the proviso thereunder, the following Table and the proviso shall be substituted namely :—

	Capacity of Exchange System			
	10,000 lines and above	1,000 lines and above but below 10,000 lines	300 lines and above but below 1,000 lines	Below 300 lines
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(a) Initial payment	3,000	2,500	2,000	1,000
(b) Initial period during which a reduction in rental is admissible.	20 years	20 years	15 years	10 years
(c) Rebate in rental—				
(i) on rentals paid annually . . .	144	120	128	96
(ii) on rentals paid quarterly . . .	36	30	32	24
(iii) on rentals paid monthly . . .	..	..	10	8

Provided that the above change in the initial payment and in the rebate in rental shall not apply to a subscriber to whom a telephone connection has been provided under the scheme before

the 10-8-1971 or any applicant for telephone connection who has already made a deposit under the scheme and to whom a telephone connection could not be provided before that date."

(3) in Section VII, "Casual and Temporary Installations", in clause (1), in sub-clause (a), in the Table, under the column with the heading 'Rental'—

(i) for the figures "30", "60" and "120", the figures "60", "120" and "180" shall respectively be substituted;

(ii) under the heading "Flat Rate Exchanges", for the words, letters and figures "Rental of Rs. 3 per day subject to a minimum of Rs. 30", the words, letters and figures "Rental of Rs. 10 per day subject to a minimum of Rs. 50" shall be substituted.

(4) in Section VIII, "Charges for private exchanges and private branch exchanges", under "1. Rent and installation charges for switch boards", for the existing Table and note 1 there under, the following Table and Note shall be substituted, namely:—

Size of Board	Installation Charges	Annual Rental.
Private Manual Exchanges and Private Manual Branch Exchanges:		
1+3*	Rs. 50	Rs. 250
2+6*	Rs. 100	Rs. 450
3+9*	Rs. 150	Rs. 625
5+20@	Rs. 10/- per equipped termination on the switch board	Rs. 50 per equipped termination on the switch board.
10+50@	Do.	Do.
over 10+50@	Do.	Do.
Private Automatic Exchanges and Private Automatic Branch Exchanges except that of 5 line PABX and 9 line PABX	Rs. 10/- per equipped termination on the switch board subject to a minimum charge of Rs 150.	Rs. 75 per equipped termination on the switch board.
5 line PABX	Rs. 200	Rs. 750 for the whole unit inclusive of rent of all the five internal connections.
9 line PABX	Rs. 500	Rs. 1500 for the whole unit inclusive of rent of all the 9 internal connections.

*Cordless
@Floor-pattern

NOTE—1. For private manual exchanges of over 50 lines capacity, private automatic branch exchanges of over 100 lines capacity, all private automatic exchanges and extendable type of private automatic branch exchanges, rental for switch boards shall be levied either at the rates shown above or at special rates calculated on the basis of capital cost incurred in installing the switch board, which ever is higher."

3. In rule 451 of the said rules, for item C and the Table thereunder, the following item and Table shall be substituted, namely:—

"C. Reduced charges during certain hours of the day including Sundays and National Holiday and on certain classes of calls, shall be as follows:—

	Classes of Calls			
	Ordinary and SVH	Urgent	Lightning	Most immediate, operations immediate, Immediate and important calls booked by authorised officials of Government Departments.
(a) On Sundays and three National Holidays				
00·00 hrs to 24·00 hrs. . .	50%	75%	100%	100%
(b) On other days				
00·00 hrs to 08·00 hrs. . .	50%	75%	100%	100%
08·00 hrs to 19·00 hrs. . .	100%	100%	100%	100%
19·00 hrs. to 24·00 hrs. . .	50%	75%	100%	100%

"

[No. 7-33/71-R].

N. V. SHENOI,
Senior Member (T. O.)
and *Ex-officio* Additional Secretary to
the Government of India.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त 1971

सा० का० नि० 1144 :—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार भारतीय तार नियम, 1951 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय तार (बसवां संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये 10 अगस्त, 1971 से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 434 में :—

(i) "विभागीय ऐक्सचेंज कनेक्शनों के प्रभारों का मापमान" सम्बन्धी सेक्शन में, स्थानीय क्षेत्र के भीतर कनेक्शनों से सम्बन्धित (i) में :—

(i) "(क) प्रमाणित दर प्रणाली" के अन्तर्गत विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

एक्सचेंज प्रणालियां	तिमाही किराये और काल शुल्क की दरें		
	किरायों	तिमाही के दौरान कितने स्थानीय काल बिना प्रभार के किये जा सकते हैं	जितने काल बिना प्रभार के किये जाने की अनुज्ञा है, उससे अधिक कालों के लिये प्रति स्थानीय काल पर प्रभार
	रुपये		पैसे
1. 10,000 लाइनों या इससे अधिक क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणालियां	100	250	20
2. 10,000 लाइनों से कम क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणालियां	80	250	20

(ii) "(ख) समान दर प्रणाली—अन्य सभी एक्सचेंज" के अन्तर्गत विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"एक्सचेंज की किस्म	किराये की दरें	
	वार्षिक	मासिक
	रुपये	रुपये
(i) 100 लाइनों और इससे अधिक क्षमता वाले एक्सचेंज जिनमें चौबीसों घंटे सेवा प्रदान की जाती है।	400	35
(ii) 100 लाइनों से कम क्षमता वाले एक्सचेंज जिनमें चौबीसों घंटे सेवा प्रदान की जाती है ।	340	
(iii) ऐसे एक्सचेंज जिनमें सेवा के घंटे सीमित हैं,—		
(क) 20 लाइनों से अधिक क्षमता वाले करचल एक्सचेंज	250	23
(ख) 20 लाइनों या इससे कम क्षमता वाले करचल एक्सचेंज	180	17"

(2) सेक्शन IV में— 'अपना टेलीफोन योजना' के अन्तर्गत कनेक्शनों का प्रभार" में विद्यमान सारणी और उसके नीचे के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता			
	10,000 लाइनें और इससे अधिक	1,000 लाइनें और इससे अधिक किन्तु 10,000 लाइनों से कम	300 लाइनें और इससे अधिक किन्तु 1,000 लाइनों से कम	300 लाइनों से कम
(क) प्रारम्भिक अदायगी	3,000 रु०	2,500 रु०	2,000 रु०	1,000 रु०
(ख) प्रारम्भिक अवधि जिसके दौरान किराये में कमी अनुज्ञेय हैं . .	20 वर्ष	20 वर्ष	15 वर्ष	10 वर्ष
(ग) किराये में रिबेट—				
(i) वार्षिक अदा किये जाने वाले किराये पर .	144 रु०	120 रु०	128 रु०	96 रु०
(ii) तिमाही अदा किये जाने वाले किराये पर .	36 रु०	30 रु०	32 रु०	24 रु०
(iii) मासिक अदा किये जाने वाले किराये पर . .	..	..	10 रु०	8 रु०

परन्तु किराये की प्रारम्भिक अदायगी और उसमें रिबेट के सम्बन्ध में उपर्युक्त परिवर्तन ऐसे टेलीफोन उपभोक्ता को जिसे इस योजना के अन्तर्गत से पहले टेलीफोन कनेक्शन दिया था, या टेलीफोन कनेक्शन के ऐसे आवेदनकर्त्ता को जिसने इस योजना अन्तर्गत पहले ही राशि जमा करा दी हो लेकिन उसे उस तारीख से पहले टैलीफोन कनेक्शन न दिया जा सका हो, लागू नहीं होगा।"

(3) सेक्शन VII "अधिनियम और अस्थायी संस्थापन" के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) की सारणी में 'किराया' शीर्ष वाले स्तम्भ के नीचे—

(i) "30", "60", और "120" अंक के स्थान पर क्रमशः "60", "120" और "180" अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ii) "समान दर एक्सचेंज" शीर्ष के अन्तर्गत 'न्यूनतम 30 रुपये के अधीन रहते हुये 3 रुपये प्रतिदिन का किराया' शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर 'न्यूनतम 50 रुपये के अधीन रहते हुये 10 रुपये प्रति दिन का किराया' शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(क) सेक्शन VIII "निजी एक्सचेंजों और निजी शाखा एक्सचेंजों के लिये प्रभार" में '1. स्विच बोर्डों का किराया और संस्थापन प्रभार" के अन्तर्गत विद्यमान सारणी के और उसके नीचे की टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और टिप्पणी प्रतिस्थापित जायेगी, अर्थात् :—

बोर्ड का आकार	संस्थापन प्रभार	वार्षिक किराया
निजी करचल एक्सचेंज और निजी करचल शाखा एक्सचेंज		
1+3*	50 रु०	250 रु०
2+6*	100 रुपये	450 रु०
3+9*	150 रु०	625 रु०
5+20=*	स्विच बोर्ड पर पर्यवसित प्रत्येक उपस्कर के लिये 10 रु०	स्विच बोर्ड पर पर्यवसित प्रत्येक उपस्कर के लिये 50 रु०
10+50=*	स्विच बोर्ड पर पर्यवसित प्रत्येक उपस्कर के लिये 10 रु०	वही
10+50 से 3 ऊपर—*	वही	वही
5 लाइनों के निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज और 9 लाइनों के निजी स्वाचालित शाखा एक्सचेंजों के सिवाय निजी स्वाचालित एक्सचेंज और निजी स्वाचालित शाखा एक्सचेंज	स्विच बोर्ड पर पर्यवसित प्रत्येक उपस्कर के लिये 10 रु० किन्तु न्यूनतम प्रभार 150 रु०	स्विचबोर्ड पर प्रत्येक उपस्कर के लिये 75 रुपये
5 लाइनों का निजी स्वाचालित शाखा एक्सचेंज	200 रु०	पूरे यूनिट लिये 750 रु० जिसमें सभी 5 आन्तरिक कनेक्शनों का किराया सम्मिलित है
9 लाइनों का निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज	500 रु०	पूरे यूनिट के लिये 1500 रु० जिसमें सभी 9 आन्तरिक कनेक्शनों का किराया सम्मिलित है ।

*बिना डोरी का

= *फर्शी नमूने का

टिप्पणी :— 50 लाइनों से अधिक क्षमता के निजी करचल एक्सचेंजों, 100 लाइनों से अधिक क्षमता के निजी स्वाचालित शाखा एक्सचेंजों, सभी निजी स्वाचालित एक्सचेंजों और

बढ़ाये जा सकने वाले किस्म के निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंजों के लिये स्विचबोर्ड का किराया या तो ऊपर बताई गई दरों पर या स्विच बोर्ड लगाने पर आने वाली पूंजीगत लागत के आधार पर प्रगणित विशेष दरों पर, इनमें से जो भी अधिक हो, लिया जायेगा ।"

3. उक्त नियमों के नियम 451 में मद 'ग' और उसके नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित मद और सारणी प्रतिस्थापित की जायेगी अर्थात्:—

"ग—रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों सहित दिन के कतिपय घंटों के दौरान और कतिपय वर्गों वाली कालों पर घटा हुआ प्रभार इस प्रकार होगा :—

	कालों के वर्ग			
	साधारण और एस वी एच	तुरन्त	अति तुरन्त	सरकारी विभागों के प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा बुक की गई अति तत्काल, प्रचालन तत्काल, तत्काल और महत्वपूर्ण काल ।
(क) रविवार और तीन राष्ट्रीय छुट्टियों पर 00.00 बजे से 24.00 बजे तक . . .	50%	75%	500%	100%
(ख) अन्य दिनों पर 00.00 बजे से 08.00 बजे तक	50%	75%	100%	100%
08.00 बजे से 19.00 बजे तक . . .	100%	100%	100%	100%
19.00 बजे से 24.00 बजे तक . . .	50%	75.%	100%	100%

[सं० 33/71—आर]

एन० वी० शैं य,
वरिष्ट सदस्य (दूर संचार प्रचालन)
और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971